निगरानी प्र.क्रं. /2017

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल म.प्र.
ग्वालियर (म.प्र.)

PBR/निगरानी/रतलाम/भू.रा/2017/3230

शहजाद खॉ पिता मंजूर खॉ मृतक के वारीसान :–

1– इमरान पिता शहजाद खॉ
उम्र–32 वर्ष, धंधा–कृषि एवं मजदूरी

2– इस्लाम पिता शहजाद खॉ
उम्र–21 वर्ष, धंधा– मजदूरी

3– श्रीमती सफिया पिता शहजाद खॉ(पति इमरान उर्फ सद्दू खॉ)
उम्र–27 वर्ष, धंधा–गृहकार्य
निवासीयान :– शेरानीपुरा रतलाम म.प्र.

4– श्रीमती नाहीद पिता शहजाद खॉ(पति अफसार अली)
उम्र–29 वर्ष, धंधा–गृहकार्य
निवासी :– रहमतनगर, डी मार्ट के सामने, रतलाम म.प्र.

..... निगरानीकर्ता/प्रार्थीगण

वि रू द्ध

मोहम्मद वकील पिता मंजूर मोहम्मदजी
उम्र– 58 वर्ष, धंधा– मजदूरी व खेती,
निवासी–शेरानी पुरा रतलाम म.प्र. .....प्रतिप्रार्थी

–:: निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. :: –

(यह निगरानी माननीय अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण रतलाम नेहा भारती महोदय द्वारा प्रदत्त अपील प्रकरण क्र. 22/16–17 में पारित आदेश दिनांकित 13.07.2017 में प्रतिप्रार्थी अपीलान्ट का धारा 5 अवधि विधान का आवेदन स्वीकार करने से असंतुष्ट होकर)

निरन्तर.....3

मान्यवर महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नानुसार निगरानी आवेदन प्रस्तुत है :–

निरन्तर.....2

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रतलाम/भू.रा./2017/3230

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10-07-2018	उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया। आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, जिला रतलाम के प्रकरण क्रमांक 22/16-17/अपील में पारित आदेश दि. 13.07.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत अवधि विधान का आवेदन पत्र धारा 5 अंतर्गत स्वीकार किया है। 2/ आवेदकगण द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अनावेदक का धारा 5 अवधि विधान का आवेदन जबकि अपील प्रकरण में ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत ही नहीं है, तो आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने के पश्चात् त्वरित अपील प्रस्तुत करने का जो निष्कर्ष अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निकाला गया है, यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होकर आदेश निरस्ती योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि अनावेदक द्वारा प्रस्तुत धारा 5 अवधि विधान के जवाब की ओर अनुविभागीय अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं देते हुए मनमाने रूप से अनावेदक का आवेदन स्वीकार करने में गंभीरतम् त्रुटि की है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक द्वारा अपील में व अवधि विधान की धारा 5 अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन में न तो आदेश का उल्लेख किया है और ना ही आदेश पेश किया है तथा नामांतरण प्रकरण होना बताया है, जबकि मेहमूदाबाई द्वारा आवेदकगण के पूर्व हिताधिकारी शहजाद खां को बंटवारे में जमीन दी है तथा अपील के साथ बंटवारे का कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया है। अपील के साथ जो दस्तावेज की सूची प्रस्तुत की है, उसमें 6 दस्तावेज पेश किये हैं- 1. नामांतरण पंजी, 2016 2. नकल आवेदन टीप 3. खसरा 4. खसरा 5. दफन प्रमाण मेहमूदा बी पत्र 6 दफन प्रमाण पत्र शहजाद खां। इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 13.07.2017 में आदेश की प्रतिलिपि प्राप्त होने का उल्लेख किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण का विधिवत्	

अवलोकन ही नहीं किया है, इस कारण भी निगरानी स्वीकार योग्य है। तर्क में यह भी कहा गया कि 17 वर्षों के विलंब के लिए कोई स्पष्ट कारण अनावेदक द्वारा नहीं दर्शाया है तथा आदेश होने की कोई तारीख नहीं बताई है एवं विलंब का दिन प्रतिदिन का कोई कारण नहीं बताया गया है। इस कारण भी अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार योग्य नहीं था। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का अवलोकन ही नहीं किया गया। शपथ पत्रमें पहचानकर्ता की सील के नीचे खाली लाईन खींची हुई है तथा शपथ पत्र नोटरी द्वारा तस्दीक भी नहीं है, फिर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदन स्वीकार करने में गंभीरतम् त्रुटि की गई है।

3/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर विलंब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अत: अनुविभागीय अधिकारी का आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की जाये।

4/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों एव अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि शहजाद तथा मेहमूदाबाई के बीच तहसीलदार के समक्ष कथित बंटवारा प्रकरण जिसका खसरे में उल्लेख है, किसी अन्य के नाम से दर्ज है। अत: स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय का आदेश अवैधानिक है और ऐसे आदेश को चुनौती देने के लिए समय-सीमा की कोई बाधा नहीं है। दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी ने अपील समयसीमा में मान्य करने में कोई त्रुटि नहीं की है। वैसे भी प्रकरण का निराकरण समय-सीमा जैसे तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण-दोष पर करना चाहिए, ताकि पक्षकारों को वास्तवतिक न्याय प्राप्त हो सके।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, जिला रतलाम द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.07.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

अध्यक्ष